न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

वाद पत्र संख्या : 37/2009 निर्णय दिनांकः– 14.03.2012

अनुवानी

अशोक कुमार आदि बनाम मोहीदीनखां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी

उपस्थितः– 1. श्री शिवगौतम सोलंकी अभिभाषक वादी/प्रार्थी
2. श्री रघुसोनी अभिभाषक प्रतिवादी/अप्रार्थी

आदेश प्रार्थना पत्र व संशोधित निर्णय

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया गया है कि

1 वह कृषि भूमि ख.न. 720 तादादी 10. विश्वा, ख.न. 1193 तादादी 2 विघा 12 विश्वा ख.नं. 1194 तादादी 13 विघा 4 विश्वा, ख.नं. 1211 तादादी 8 बीघा 6 बिश्वा खसरा नम्बर 1212 तादादी 3 बीघा 5 विश्वा, बी. ख.नं.1213 तादादी 6बीघा 11 विश्वा व ख.नं. 1214 तादादी कुल किता कुल तादादी 39 बीघा 8 बिश्वा रोही कस्बा चूरू के बाबत विभाजन दावा यह कथन करते हुए दायर किया ाा कि उपरोक्त कृषि भूमि में 1409/2964 हिस्सा अप्रार्थी वादी खातेदार का है।

2 कि उपरोक्त दावे के अलावा, प्रतिवादी संख्या द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रतिदावा। 33 . 34 काउंटर की ओर से जो आइटम 8 द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी अपने ईदसुदा खातों को लोक करते हैं और लोक करते हैं कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पूर्ण विवरण अंकित किया था या इसी भूमि का खाता दुरस्त किया जाकर खातेदारी दर्ज करने व विभाजन किया जाकर नक्शा में विभाजन का अनुतोष चाहा गया था जिस अनुतोष में प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की कुल बातेदारी 2270/47280 हिस्सा की कृषि भूमि अ.न. 1213 व 1214 में होना अंकित किया था व इसी पर अपना कब्जा व काश्त होना बतलाया था पत्रावली में बादी अप्रार्थी मोहिदिन खां के बयान हुए जिसमे अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि का माप स्वीकार किया था वा मौके पर प्रार्थीगण की तारबंदी व शिमेन्ट के पिलर लगागर कब्जा प्रार्थीगण को मौके पर होना स्वीकार किया था एवं प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे के अनुसार अलग बाता विभाजन करने की सहमति थी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी मोहिदिन खां सहखातेदार की सहमति से बैनामा दिनांक 20.09.14 से कृषि भूमि खरीद की व वेलामा को समय से प्रार्थीगण को मौके पर खम 1213 व 1214 में ही कब्जा संभलावा गया था जिस बाबत् वादी अप्रार्थी मोहिदिन खां की सहमति से विकेतागण ने शपथ पत्र दिया था जिस शपथ पत्र में विक्रयशुदा भूमि का पूर्ण माप व आसा पासा अंकित किया था जिस शपथ पत्र पर वादी अप्रार्थी मोहिदिन खां व प्रतिवादी अलादीनखां ने बतोर साक्षी हस्ताक्षर किये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

3. यहकि प्रार्थीगण का जो काउन्टर क्लेम डिक्री किया [illegible] डिकी बनायी गई उसमे मूल ख. नं. 1213 तादादी 6 बीघा 11विश्वा [illegible] जाकर उन्ही ख.नं. की भूमि से प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि [illegible] दर्ज करते हुए विभाजन [illegible] जाना

46

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

था या वादी अप्रार्थी के साथ ही प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का निर्णय होकर एक ही डिकी तैयार की जानी चाहिए थी लेकिन सहवन् भूल से ख.न. 1213 मीन तादादी 2 विद्यां 16 विश्वा व खन 1214 मीन । विधा 12 विश्वा अंकित कर दिया जो कि तथ्यात्मक भूल। कानूनन एक ही दावा में दो अलग अलग डिकी पारित नही होती है

4. यह कि डिक्री दिनांक 24.06.12 व 14.03.12 को एक साथ किया जाकर काउण्डर क्लेम के मुताबिक बनाया जाना चाहिए था इस प्रकार इन दोनों डिक्रियों में ख. नं. त्रुटियां रही है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि पक्षकारों में विवाद न बढे यह सम्पूर्ण स्थिति पटवार हल्का द्वारा डिक्री दिनांक 29.06.12 की पालना में नक्शा से संशोधन किये जाने के बाद प्रार्थीगण द्वारा नक्शा की नकल प्राप्त करने पर नक्शा को देखेने से दिनांक 27.05.15 को इस त्रुटी सर्वप्रथम प्रार्थीगण को ज्ञान हुआ इसलिए डिक्री में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा से पारित्त दो अलग –अलग डिकियों के स्थान पर एक सामुहिक संयुक्त डिक्री बनाई जावे या प्रार्थीगण के काउन्टर क्लेम की डिक्री बनाई जावे या प्रार्थीगण के काउन्टर क्लेम की डिक्री करने बाबत पारित निर्णय डिक्री में ख. नं. 1213 मीन 1214 मीन के स्थान पर ख.नं. 1213 तादादी 6 बीघा 11 बीश्वा वा ख.नं. 1214 तादादी 5 बीघा वाके रोही चूरू अंकित किया जाकर व अप्रार्थी वादी के न्यायालय में हुए बयानों में स्वीकार किये गये तथ्यो के अनुसार डिक्री में वर्णित ख. नं. को संशोधित किया जाकर काउण्टर क्लेम अनुसार निर्णय व डिक्री तैयार की जावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. एवं 229 आर. टी.ए. का प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रघुसोनी उपस्थित हुए अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है।

(1) यहकि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या (1) में अंकित संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 720, 1193, 1194, 1211, 1212, 1213, 1214 तादादी क्रमशः 0–10 बीघा, 02–12 बीघा, 13–04 बीघा, 08–06 बीचा, 03–05 बीघा, 06--11 बीघा, 05 बीघा कुल किता 05 की कुल तादादी 39–08 बीघा कृषि भूमी का विभाजन करने का बाद के तथ्य स्वीकार है, जिस विभाजन के वाद में प्रार्थना–पत्र के प्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 33 व 34 कायम थे, जिसमें उनके द्वारा समय 2 पर बाद में उपस्थित होकर स्वंय व अपने वकील के माध्यम से उपस्थिति दी थी, इसलिये यह मद स्वीकार की जाती है। की

(2)यहकि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या (2) में प्रार्थना–पत्र के प्रार्थीगण द्वारा अंकन किये गये तथ्य कि उनके द्वारा वर्णित वाद गोहीदीन खां बनाम युसुफ खां आदि में बतौर प्रतिवादी संख्या 33 व 34 उपस्थित होकर जबाव दावा व प्रतिदावा पेश किया गया था, जिसको डिक्री के निस्पादन में पूर्व में लेखनी की सद्भावी भूल को चांदमल आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुये जारी कर दी गई। और प्रार्थीगण चांदमल आदि का खसरा पृथक कर दिया गया था।बाकि मद में दिनांक 20/9/2014 को किसी भी प्रकार से बैनामा से कृषि भूमि खरीद करनी व दिनांक 20/9/... गोहीदीन खां द्वारा किसी भी स्वीकृति दी जानी गलत अंकित की है जो स्वीकार ... है। इसके अलावा जहां प्रार्थीगण की ओर से तारबंदी व पीलर की बात ... आधार नये खसरे कायम करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

AG
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हुये व एक्स में मानचित्र तरमीम किया जाकर विभाजन किया जा चुका है। अन्य तथ्य गल्त लिखे जाने से अस्वीकार है।

पार्टी मोहीदीन यां यह भी सगीधीन करता है कि अशोक कुमार वगैरा बारा बाद के अंतिम निस्तारण व डिक्री न्यायालय द्वारा उनकी सहमति व स्वीकृति करने के बाद भी वे गौके की सींच पर यथा अपने गुमास्तो से परिवर्तन करने पर आगदा होने पर मौके पर इगहा फसाद बचने के लिये प्राथी मोहीदीन खां ने एक प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अशोक कुमार वगैरा अर्न्तगतधारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधिन पेश किया गया, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 15/7/2015 को किया जा चुका है।

(3) यहकि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या (3) में प्रार्थना–पत्र के प्रार्थीगणो को तथ्यों व स्थिति का पता होने के बाद भी गल्त रूप से तथ्य छिपाते हुये जिस तरह से दर्ज करवाई गई है, वह स्वीकार नही अस्वीकार की जाती है।

(4) यहकि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या (4) में जिस तरह से प्रार्थना–पत्र के पटल पर पेश किया गया है, स्वीकार नही बल्कि अस्वीकार की जाती है।

अनुवानी प्रकरण मोहीदीन खां बनाम युसुफ खां आदि का वाद संख्या 37/09 जिसको न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से चांदमल बगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29/6/2012 जिसमें उनका काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई थी, और उस डिक्री की इजराय संख्या 03/2014 की पालना के अनुसार तहसीलदार चूरू द्वारा मौके पर पटवारी हल्का से मौके की स्थिति नींव सींव व कब्जा काश्त के अनुसार खाते को पृथक–2 कर खातेदारी रेकार्ड पर व नक्शा राजस्व अभिलेख में कायम किये गये, जिसकी जानकारी भली–भांति अशोक कुमार वगैरा को सदामत से रही थी, मगर उनके द्वारा यह लिखना कि उनको नक्शा व नामांतरकरण आदि की जानकारी दिनांक 27/5/2015 को हुई पुर्णतया गल्त लिखी गई है, इस प्रकार सही तथ्यों को छिपाकर प्रार्थी को परेशान व खर्चे से जेरबार करने के लिये प्रार्थना–पत्र में इस्तदुआ चाही गई है यह भी अस्वीकार की जाती है।

विशष आपतियां

(1) यह प्रार्थी मोहीदीन खां द्वारा एक वाद वास्ते खातेदारी कृषि भूमि रकबा चूरू में अपने हिस्सा को विभाजन करवाने का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसके नम्बर 37/09 उपखण्ड न्यायालय चूरू में कायम हुये, जिस वाद में चांदमल व अशोक कुमार प्रतिवादी संख्या 33 व 34 निहीत थे, जिनके द्वारा अजखुद न्यायालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 24.02.2010 को वकील के माध्यम से दी थी, चांदमल वगैरा इतने चतुर व होशयार है, जिनके द्वारा वाद में जबाब दावा मय प्रतिवाद दिनांक 29/9/2009 को टंकित करवाकर तैयार कर रखा था, जबकि वे न्यायालय में उपस्थित दिनांक 24/2/2010 को हुये, और उक्त टंकित जवाब दावा को दिनांक 25/08/2010 इल्म के बावजूद करीबन् ग्यारह माह की समयावधि व्यतीत होने के पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत किया, इसके बाद चाद की समस्त कार्यवाहीयों में उपस्थित आते रहे, वाद को न्यायालय द्वारा पक्षकारान की परस्पर सहमति व लोक अदालत की भावना से निर्णय व डिक्री किया गया।

उक्त निर्णय डिक्री के पश्चात प्रार्थना–पत्र के प्रार्थीगण अशोक कुमार वगैरा द्वारा निर्णय व डिक्री में रही लिपकीय व आकर्रामक भूल को सुधार हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 11/5/2012 को प्रस्तुत किया गया, जिस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर निर्णित निर्णय व डिक्री में ... पक्षकार द्वारा आवेदन के समय शुद्ध करने का आदेश पारित कर पुनः संसो... से अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/6/2012 को पारित की, ... पक्षकार द्वारा क्लेम नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चूरू

तत्पश्चात उक्त निर्णय व डिक्री व मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के अनुसार बाद इजराय तहसीलदार चूरू द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री पर पक्षकारान के की मौके की स्थिति कब्जा व काश्त के अनुसार समस्त वादकृत खातेदारान के नाम से इन्द्राज की प्रविष्टी की जाकर पृथक से खाते व नक्शा तरमीम राजस्व अभिलेख में कर दिया गया और उसी अनुसार ही उक्त चांदमल व अशोक कुमार की खातेदारी उनके कब्जे व काश्त के अनुसार अंकित कर दी गई जिस पर उनके द्वारा अपनी तारबंदी व पीलर पटीयां लगा कर मौका कायम कर लिया, इस प्रकार मौका नक्शा व खसरो की विभाजन की जानकारी विधिवत रूप से चांदमल आदि को सदामत से रही है, जिस पर वे काबिज हो गये,

(2) यहकि जब एक बाद किसी भी विवादित प्रश्न का निस्तारण पक्षकारान द्वारा परस्पर सहमत होकर या किसी न्याय निर्णयन मे सहमत होकर करवा लेते है, तो इसके बाद उक्त न्याय के निर्णयन मे वही पक्षकार वापस उपस्थित होकर विवाद उत्पन्न करे तो ऐसे कृत्यों के लिए धारा 11 सीपीसी वर्जन करती है।

पार्टी ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 152 Amendment of judgments, decrees of orders Clerical or arthmetical mistakes in judgements, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the court either of its own motion or on the application of any of the parties, संदर्भित प्रकरण में पूर्व में प्रार्थना–पत्र के द्वारा डिक्री व निर्णय में हुई लिपिकीय भूल संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 29/6/2012 द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है, इसके उपरांत पुनः इस बाबत नया प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

(3) यहकि प्रार्थीगण अशोक कुमार वगैरा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा पारित उपरोक्त बाद में निर्णय व डिक्री की अपील न्यालालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में पेश कर रखी है, और अपील में डिक्री को निरस्त करने की मांग की गई है. तथा साथ ही साथ रेकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश भी राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के यहां से अपीलांट अशोक कुमार वगैरा ने प्राप्त कर रहा है, इसके बावजूद न्यायालय में प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है, तो ऐसे में दोनो न्यायिक कार्यवाहीयां जो समान अनुतोष व समान पक्षकार के मध्य निहीत हो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार वाद बाहुलता को बढ़ावा देती है, जो कतई चलने योग्य नहीं बल्कि इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि जबाब प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे, आपकी अति कृपा होगी

वकील अप्रार्थी की ओर से अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की अपील आर.ए. ए. बीकानेर में प्रक्रियाधीन है अतः उक्त अपील के निर्णय के बाद ही इस पत्रावली में बहस सुनी जावे जिस पर पत्रावली को इन्तजार आदेश में नियत किया गया। आर.ए.ए. बीकानेर की ओर से अपील खारिज हो[illegible] को बहस में नियत किया जाकर तहसीलदार चूरू से वर्तमान स्थिति की मौ[illegible]ंगवाई गई। तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

1. रोही ग्राम कस्बा चूरू के [illegible]2, 1193, 2401/1214, 2747/1910, 2749/1911, 2751/2438, 2801/2745, [illegible] की खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

संवत 2071–2074, खाता संख्या 502 के अनुसार मोहिदीन खां पुत्र जाबदीखां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम दर्ज है।

2. रोही ग्राम कस्बा चूरू के खाता नम्बर 31 खसरा नम्बर 2545/2441, 2769/2543 की खातेदारी राजस्व अभिलेख जमांबदी के अनुसार अशोक कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति कोठारी, चांदमल पुत्र नोरतमल जाति सुराणा नि. चूरू के नाम से दर्ज है।
3. रोही ग्राम कस्बा चूरू के ख.नं. 2546/2441, 2771/1212, 2773/2442, 2775/2544 की खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबंदी के अनुसार अस्त अली खां पुत्र मोलेखां, इकबाल खां पुत्र भादरखां, जीवण खां मजीद अली, रमजान अली, अलादीन व ताजबानो पत्नी अलादीन जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम दर्ज है।
4. उरोक्त खातेदार का कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन नहीं हुआ है।
5. रोही कस्बा के मूल ख. नं. 1213, 1214 वर्तमान के ख. नं. 2751/2438, 2769/2549, 2775/2544, 2440/1214, 2546/2441, 2545/2441 का मौके के अनुसार कब्जा काश्त नहीं है।

तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अशिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र व तहसीलदार चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट का दोहराव करते हुए कथन किया कि संशोधित निर्णय दिनांक 29.06.2012 में प्रार्थीगण का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर करने का आदेश तहसीलदार, चूरू को दिया गया था परन्तु संशोधित डिक्री दिनांक 29.06.2012 में भूलवश केवल मात्र खाता विभाजन करने का अंकन कर दिया गया जो सद्‌भावी भूल हुई है। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका नक्शा के अवलोकन से होती है जिसमें प्रार्थीगण का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न दर्शित किया हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा में पारित दो अलग अलग डिक्रियों के स्थान पर एक सामूहिक डिक्री जारी फरमावें तथा तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर को संशोधित करने का आदेश जारी फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब, अन्तिम डिक्री, धारा 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आदेश दिनांक 29.06.2012, संशोधित अन्तिम डिक्री दिनांक 29.06.2012 एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. एवं धारा 229 RTA के तहत पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 29.06.2012 में प्रार्थीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर करने आदेश दिया था परन्तु संशोधित डिक्री में सहवन से मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर करने का अंकन नहीं कर केवल प्रार्थीगण का खाता विभाजन करने का आदेश तहसीलदार, चूरू को दिया गया था इसलिए दावा में पारित दो अलग अलग डिक्रियों के स्थान पर एक सामूहिक डिक्री जारी फरमाई जावे तथा खसरा नम्बर को संशोधित करने का आदेश जारी फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण का खाता विभाजन मौके पर कब्जा एवं काश्त के आधार पर ही किया गया है तथा प्रार्थीगण ने अपने खेत के पट्टी रोपकर तारबन्दी कर रखी है। प्रार्थीगण के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पेश धारा 152 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निर्णय भी एक बार पूर्व में दिनांक 29.06.2012 को हो चुका है। इसलिए उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कानूनन धारा 11 सी.पी.सी. के तहत वर्जित है तथा धारा 152 सी.पी.सी. के प्रवधानों के तहत नहीं आता है। अन्त में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित दावा में जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 14.03.2012 में इस न्यायालय द्वारा वादीगण का दावा स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन करने का आदेश तहसीलदार, चूरू को दिया गया है जबकि दावा में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का सहवन से कोई निर्णय नहीं किया गया। उक्त दावा में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के आदेश दिनांक 29.06.2012 में प्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर उनके 38 हिस्सा का खाता विभाजन मौके पर उनके कब्जा काश्त के आधार पर करने का आदेश तहसीलदार, चूरू को दिया गया है। उक्त आदेश के अनुसरण में जारी संशोधित डिक्री दिनांक 29.06.2012 में सहवन से प्रार्थीगण का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर करने का अंकन नहीं किया गया है केवल प्रार्थीगण का खाता विभाजन करने का आदेश तहसीलदार, चूरू को दिया गया है।

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट व संलग्न राजस्व एवं मौके के नजरी नक्शों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण का खाता विभाजन मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार सही नहीं है।

न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. की धारा 152 के प्रावधानों का भी अवलोकन किया जिसमें अंकित आया है कि– "Amendment of judgments, decrees of orders Clerical or arthmetical mistakes in judgements, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the court either of its own motion or on the application of any of the parties" इसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 के तहत भी प्रार्थीगण को इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत दावा में प्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम का अन्तिम डिक्री दिनांक 14.03.2012 में कोई निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं किया [illegible] वादीगण के दावा को स्वीकार कर खाता विभाजन करने का [illegible] भूल रही थी तथा प्रार्थीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र [illegible] जानकारी देने पर न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उनके काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर मौके पर उनके कब्जा व काश्त के आधार पर खाता विभाजन करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा सही जारी किया गया है परन्तु उक्त आदेश के अनुसरण में जारी संशोधित डिक्री दिनांक 29.06.2012 में लिपिकीय भूलवश केवल प्रार्थीगण का खाता विभाजन करने का आदेश तहसीलदार, चूरू को दिया गया था। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका नक्शा के अवलोकन से भी होती है जिसमें प्रार्थीगण के साथ साथ अन्य खातेदारों का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न दर्शित किया हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह एक लिपिकीय भूल रही है जो धारा 152 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों के तहत कवर होती है जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण को अधिकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. व धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री दिनांक 14.03.2012 एवं संशोधित अन्तम डिक्री दिनांक 29.06.2012 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों को खाता विभाजन मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप अलग अलग कायम करें तथा उक्तानुसार राजस्व नक्शे में संशोधन करें। उक्त आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शे भविष्य में निर्णय व डिक्री का भाग माने जावेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:31 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

अनुवान

अशोक कुमार आदि बनाम मोहीदीनखां

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 37 सन् 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट प्रार्थीगण मिनजानिब मुदईब एवं मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. व धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री दिनांक 14.03.2012 एवं संशोधित अन्तम डिक्री दिनांक 29.06.2012 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों को खाता विभाजन मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप अलग अलग कायम करें तथा उक्तानुसार राजस्व नक्शे में संशोधन करें

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज तारीख 08 माह सितम्बर, 2024 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह) RAS

उपखण्ड अधिकारी

चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh

Date: 2025.09.15 18:18:31 IST

Reason: SelfAttested